प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक जिन सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं, वे निम्नांकित श्रेणियों में आते हैंः

(i) सरकारी कंपनियां,

(ii) सांविधिक निगम, तथा

(iii) विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

यह प्रतिवेदन सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख करता है तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है । विभागीय रूप से संचालित वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा के परिणाम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन (सिविल) में सम्मिलित किये गये हैं ।

सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित की जाती है । मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम एवं मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल जो सांविधिक निगम हैं, के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हैं । राज्य वित्तीय निगम (संशोधित) अधिनियम 2000, के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से निगम द्वारा नियुक्त किये गये चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त मध्यप्रदेश वित्त निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को हैं । मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के विषय में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त लेखापरीक्षा करने का अधिकार भी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को हैं । मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विषय में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हैं । इन सभी निगमों के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को पृथक रूप से अग्रेषित किए जाते हैं ।

इस प्रतिवेदन में उन प्रकरणों का उल्लेख किया गया हैं जो 2010-11 के वर्ष में की गई लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और वह भी जो कि विगत वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु उन्हें पिछले प्रतिवेदनों में समाविष्ट नहीं किया गया था । जहाँ आवश्यक समझा गया है वहाँ 2010-11 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी इस प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया हैं ।

लेखापरीक्षा करते समय भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के पालन सुनिश्चित किये गये हैं ।